संख्या:145/2015/221/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च,2015

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोण्डा में शासनादेश संख्या:1588(1)/35-4-2006 दिनॉक 16 जून,2006 द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के 50 चैम्बर्स निर्माण कार्य की रू. 79.20 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू. 79.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जनपद स्तर पर यह धनराशि आहरित कर डीआरडीए के पीएलए में रखी गई। पीएलए में रखी गई उक्त धनराशि में से रू. 59.40 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को दो किश्तों में अवमुक्त की गई और शेष धनराशि रू. 19.80 लाख की धनराशि पीएलए में जमा रहने से कार्य अभी अपूर्ण है। पीएलए से धनराशि आहरित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अत: पीएलए में जमा धनराशि राजकोष में जमा करा ली गई है। एतद्द्वारा कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पीएलए से राजकोष में जमा कराई गई धनराशि के समतुल्य धनराशि रू. 19.80 लाख (रूपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 16 जून,2006 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी और आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि रू. 19.80 लाख के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिये कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://bhasanadesh.upnic.in

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/ वादकारी के लिये स्थायी ढ़ाँचे के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:145/2015/221(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/न्याय विभाग।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6-जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।
7-मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
8-मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
9-प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।
9-कोषाधिकारी, गोण्डा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://finance.up.nic.in